क्रम-संख्या–105(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 7 जुलाई, 2025

आषाढ़ 16, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग–2

संख्या आई / 1015267 / 23-2–2025-51(सा0)-24

लखनऊ, 7 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प0आ0–196

चूँकि राज्य सरकार की यह राय है, कि जिला मथुरा में यमुना नदी पर स्थित भौगॉव सरकोरिया घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट की आवश्यकता है;

अतएव, अब, उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1878) की धारा 4 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथादर्शित अपनी सीमाओं के भीतर जिला मथुरा में भौगॉव सरकोरिया घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित करते हैं।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि पूर्वोक्त दिनांक से, जिला मथुरा में भौगॉव सरकोरिया घाट पर पूर्वोक्त सार्वजनिक नौघाट का तात्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त, लोक निर्माण विभाग, आगरा में निहित होगा।

अनुसूची

जिला का नाम	नदी के दोनों ओर परगना के नाम	नदी के दोनों ओर के ग्रामों के नाम	नदी का नाम जिस पर नौघाट स्थापित किया जाना है	नौघाट का नाम
1	2	3	4	5
मथुरा	1–मॉट 2–छाता	1–भौगॉव 2–सरकोरिया	यमुना नदी	भौगॉव सरकोरिया घाट

नौघाट की श्रेणी	नौघाट की सीमा			
	धारा के ऊपर की ओर	दूरी	धारा के नीचे की ओर	दूरी
6	7	8	9	10
''ए''	स्याराहा	6.50 कि0मी0	मॉट	15.00 कि0मी0

आज्ञा से,
प्रकाश बिंदु,
सचिव।

———————

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. I/1015267/XXIII-II–2025-51(SA)-24**,** dated July 7, 2025 for general information.

No. I/1015267/XXIII-II–2025-51(SA)-24

Dated Lucknow, July 7, 2025

WHEREAS the State Government is of the opinion that a new public ferry is needed on the Yamuna river at Bhaugov Sarakoriya Ghat in District Mathura;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clauses (c) and (d) of Section 4 of the Northern India Ferries Act, 1878 (Act no. 17 of 1878), the Governor is pleased to establish, with effect from the date of publication of this notification in the official *Gazette,* a new public ferry on the Bhaugov Sarakoriya Ghat in District Mathura within its limits as shown in the Schedule below.

Under Section 6 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to direct that with effect from the aforesaid date, the immediate superintendence of the aforesaid public ferry at Bhaugov Sarakoriya Ghat in District Mathura shall vest in the Superintending Engineer, Agra Circle, Lok Nirman Vibhag, Agra.

SCHEDULE

Name of District	Name of the Pargana on both sides of the river	Name of village on both banks of the river	Name of the river on which ferry is to be established	Name of the Ferry
1	2	3	4	5
Mathura	1. Mott 2. Chhata	1. Bhaugov 2. Sarakoriya	Yamuna River	Bhaugov Sarakoriya Ghat

Class of Ferry	Limit of Ferry			
	Up Stream	Distance	Down Stream	Distance
6	7	8	9	10
"A"	Syaraha	6.50 K.m.	Mott	15.00 K.m.

By order,
PRAKASH BINDU,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 257 राजपत्र–2025–(773)–599+50+5=654 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।